विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	कार्मिक
प्रश्न संख्या अतारांकित	:	927
उत्तर की तिथि	:	10.09.2024
विषय	:	सेवा विस्तार
प्रश्नकर्ता के नाम	:	डॉ0 जनक राज (भरमौर), श्री रणधीर शर्मा (श्री नैना देवीजी), श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (बड़सर), श्री सुधीर शर्मा (धर्मशाला)
संबंधित मन्त्री	:	मुख्य मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	
(क) वर्तमान सरकार के गठन उपरान्त दिनांक 31.07.2024 तक सरकार द्वारा कितने अधिकारियों / कर्मचारियों को सेवा विस्तार दिया गया है; विभागवार व पदनाम सहित इनके वेतन / भत्तों तथा अन्य सभी व्यय का ब्यौरा दें; सरकार कर्मचारियों की सेवानिवृति आयु बढ़ाने का विचार रखती है;	(क), (ख), (ग), (घ), (ड) तथा (च)
(ख) दिनांक 01.01.2023 से 31.07.2024 तक वित्त विभाग के पास किस–किस विभाग, बोर्ड एवं निगम से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को सेवा विस्तार अथवा पुनर्नियुक्ति देने बारे कितने मामले प्राप्त हुए तथा इनमें से कितने मामले में स्वीकृति प्रदान की गई; कितने मामलों को अस्वीकार किया गया; कारण सहित ब्यौरा दें तथा वर्तमान में कितने मामले कब से लंबित हैं;	सूचना अभी भी एकत्रित की जा रही है।
(ग) वित्त विभाग किस नीति के अन्तर्गत इनको सेवा विस्तार व पुनर्नियुक्ति के मामलों में स्वीकृति दे रहा है या मामलों को अस्वीकार कर रहा है; ब्यौरा दें;	
(घ) सरकार में कितने ओ0एस0डी0 को कैबिनेट स्तर का दर्ज़ा प्राप्त है;	
(ड) इन पर व्यय की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा नाम, पद तथा कार्यालयवार दें; और	
(च) इनकी सेवाओं से सरकार को क्या–क्या लाभ हुए हैं; ब्यौरा दें?	